भाग—III

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

अधिसूचना

दिनांक 19 जून, 2014

संख्या का०आ०65/ह०अ० 14/1991/धा० 40/2014.— हरियाणा श्री माता मनसा देवी पूजास्थल अधिनियम, 1991 (1991 का 14) की धारा 40 की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) तथा धारा 19 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, अधिसूचना संख्या का0 आ0 88/ह0 अ0 14/1991/ धा0 40 /2008, दिनांक 22 सितम्बर, 2008 के प्रतिनिर्देश से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, श्री माता मनसा देवी पूजास्थल बोर्ड की सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा शर्तों को विनियमत करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाये हैं, अर्थातः—

भाग—1—सामान्य

1. (1) ये नियम श्री माता मनसा देवी पूजास्थल बोर्ड (भर्ती तथा शर्तें) सेवा नियम, 2014, कहे जा सकते हैं। संक्षिप्त नाम।

(2) ये तुरन्त लागू होंगे।

2. (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा आपेक्षित न हो,— परिभाषाएं।

(क) "अधिनियम" से अभिप्राय है, हरियाणा श्री माता मनसा देवी पूजास्थल अधिनियम, 1991(1991 का अधिनियम 14);

(ख) "अध्यक्ष" से अभिप्राय है, बोर्ड का अध्यक्ष;

(ग) "मुख्य प्रशासक" से अभिप्राय है, बोर्ड का मुख्य प्रशासक;

(घ) "मुख्य कार्यकारी अधिकारी" से अभिप्राय है, बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी;

(ङ) "सीधी भर्ती" से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति जो सेवा में से पदोन्नति या भारत सरकार अथवा किसी राज्य की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण से अन्यथा की गई हो;

(च) "संस्था" से अभिप्राय है,—

(i) हरियाणा राज्य में लागू विधि द्वारा यथास्थापित कोई संस्था; या

(ii) इन नियमों के प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त कोई अन्य संस्था;

(छ) "वेतन" से अभिप्राय है, सेवा के किसी सदस्य द्वारा वेतन के रूप में प्रतिमास ली जा रही राशि, जो उसके द्वारा धारित पद के लिये स्वीकृत की गई है और इसमें विशेष अथवा निजी वेतन, यदि कोई हो, या वे परिलब्धियां शामिल हैं जो बोर्ड द्वारा वेतन के रूप मे विशेष तौर पर वर्गीकृत की जाएं, किन्तु इसमें किसी प्रकार का भत्ता शामिल नहीं है;

(ज) "मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय" से अभिप्राय है,–

(i) भारत में विधि द्वारा निगमित कोई विश्वविद्यालय; या

(ii) कोई अन्य विश्वविद्यालय, जो इन नियमों के प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय घोषित किया गया हो;

(झ) "धारा" से अभिप्राय है, अधिनियम की धारा;

(ञ) "सेवा" से अभिप्राय है, श्री माता मनसा देवी पूजास्थल बोर्ड (भर्ती तथा शर्तें) सेवा; तथा

(ट) इन नियमों में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें क्रमशः हरियाणा श्री माता मनसा देवी पूजास्थल अधिनियम, 1991 (1991 का 14) और बोर्ड द्वारा अपनाए गए हरियाणा राज्यार्थ पंजाब सिविल सेवा नियम जिल्द I तथा II में दिया गया है।

भाग– II–सेवा में भर्ती

पदों की संख्या तथा उनका स्वरूप।

3. सेवा में इन नियमों के परिशिष्ट "क" में उल्लिखित पद होंगे :

परन्तु इन नियमों की कोई भी बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले नये पद स्थाई अथवा अस्थाई रूप से बनाने के बोर्ड के अन्तर्निहित अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी।

सेवा में नियुक्त किए गए उम्मीदवारों की राष्ट्रीयता, अधिवास तथा चरित्र।

4. (1) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक वह निम्नलिखित न हो,–

(क) भारत का नागरिक हो; या

(ख) भूटान की प्रजा; या

(ग) नेपाल की प्रजा; या

(घ) तिब्बत का शरणार्थी, जो पहली जनवरी, 1962, से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो; या

(ङ) भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका तथा कीनिया, युगांडा, तंजानिया के संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व टांगा--नीका और जंजीबार (जांबिया, मलावी, जायरे और इथोपिया के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश) से प्रवासित होकर भारत मे स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो :

परन्तु (ख), (ग), (घ) तथा (ङ) से सम्बन्धित व्यक्ति किसी प्रवर्ग का ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण--पत्र जारी किया गया हो।

(2) कोई भी व्यक्ति, जिसकी दशा में पात्रता प्रमाण--पत्र आवश्यक हो, बोर्ड या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिए प्रविष्ट किया जा सकता है किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाण--पत्र जारी किए जाने के बाद ही दिया जा सकता है।

(3) कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक वह अपनी अन्तिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या ऐसी संस्था, यदि कोई हो, के प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से चरित्र प्रमाण- पत्र, और दो ऐसे अन्य जिम्मेवार व्यक्तियों से, जो उसके सम्बन्धी न हों, किन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन में उससे भली--भांति परिचित हों और जो उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था से सम्बन्धित न हो किसी प्रकार के प्रमाण--पत्र प्रस्तुत न करें।

5. कोई भी व्यक्ति सेवा में बोर्ड द्वारा किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वह अध्यक्ष या मुख्य प्रशासक, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा आवेदन--पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि को सत्रह वर्ष की आयु से कम अथवा चालीस वर्ष की आयु से अधिक का हो : आयु।

परन्तु अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित उम्मीदवारों के मामले में ऊपरी आयु सीमा वही होगी जो सरकार द्वारा समय--समय पर सरकारी सेवा में उनकी नियुक्ति हेतु निर्धारित की जाये :

परन्तु यह और कि जन्म तिथि की गणना करने के लिये सेवा में सीधी भर्ती द्वारा किसी पद पर नियुक्त व्यक्ति के मैट्रिक अथवा उच्चतर माध्यमिक प्रमाण--पत्र में इस प्रकार दर्ज तिथि ही उसकी आयु का एक मात्र प्रमाण होगा। मैट्रिक के प्रमाण--पत्र के उपलब्ध या उपयुक्त न होने पर उम्मीदवार को नियुक्ति प्राधिकारी की संतुष्टि के लिये उसकी जन्म तिथि के समर्थन में कोई अन्य प्रमाण प्रस्तुत करना पड़ेगा।

6. सेवा में पदों पर नियुक्ति, नियमों के परिशिष्ट ग मे यथा विनिर्दिष्ट अध्यक्ष या मुख्य प्रशासक, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा की जाएगी। नियुक्ति प्राधिकारी।

अर्हताएं। 7. कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी भी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक वह सीधी भर्ती की दशा में इन नियमों के परिशिष्ट ख के खाना 3 में विनिर्दिष्ट तथा सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति की दशा में पूर्वोक्त परिशिष्ट के खाना 4 में विनिर्दिष्ट अर्हताएं तथा अनुभव न रखता हो :

परन्तु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की दशा में अनुभव सम्बन्धी योग्यताओं में बोर्ड या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण के विवेक पर 50 प्रतिशत सीमा तक ढील दी जा सकेगी, यदि अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, अन्य पिछड़े वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों तथा शारीरिक रूप से विकलांग प्रवर्गों में उनके लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न हो ऐसा करने के लिए, लिखित रूप में कारण दिए जाएंगे।

निरर्हता। 8. कोई भी व्यक्ति,

(क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है; या

(ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है, या विवाह की संविदा कर ली है,

सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि सरकार की संतुष्टि हो जाए कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के लिए अन्य आधार भी हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है;

भर्ती का ढंग। 9. (1) सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जाएगी:-

(क) मुख्य कार्यकारी अधिकारी की दशा में,-

(i) सीधी भर्ती द्वारा; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार अथवा बोर्ड और निगम की सेवा में पहले से लगे अधिकारी/कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा,

(ख) लेखा अधिकारी की दशा में,-

वित्त विभाग से स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(ग) कार्यालय सचिव की दशा में,-

(i) सीधी भर्ती द्वारा; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार अथवा बोर्ड और निगम की सेवा में पहले से लगे

अधिकारी / कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(घ) निजी सहायक की दशा में,–

(i) सीधी भर्ती द्वारा; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार अथवा बोर्ड और निगम की सेवा में पहले से लगे अधिकारी / कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(ड़) कनिष्ठ अभियन्ता की दशा में,–

(i) सीधी भर्ती द्वारा; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार अथवा बोर्ड और निगम की सेवा में पहले से लगे अधिकारी / कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(च) पुस्तकाध्यक्ष की दशा में,–

(i) सीधी भर्ती द्वारा; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार अथवा बोर्ड और निगम की सेवा में पहले से लगे अधिकारी / कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(छ) लेखाकार की दशा में,–

(i) सीधी भर्ती द्वारा; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार अथवा बोर्ड और निगम की सेवा में पहले से लगे अधिकारी / कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(ज) सहायक की दशा में,–

(i) लिपिकों / आशुटंकणों में से पदोन्नति द्वारा; अथवा

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार अथवा बोर्ड और निगम की सेवा में पहले से लगे अधिकारी / कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(झ) स्टोर कीपर की दशा में,–

(i) लिपिकों/आशुटंकणों में से पदोन्नति द्वारा; अथवा

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार अथवा बोर्ड और निगम की सेवा में पहले से लगे अधिकारी/कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

टिप्पणी: स्टोर कीपर तथा सहायक का पद विनिमय होगा।

(ञ) सुरक्षा अधिकारी की दशा में,–

(i) सीधी भर्ती द्वारा; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार अथवा बोर्ड और निगम की सेवा में पहले से लगे अधिकारी/कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(ट) पुजारी की दशा में,–

(i) सीधी भर्ती द्वारा; या

(ii) सहायक पुजारियों में से पदोन्नति द्वारा; या

(iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार अथवा बोर्ड और निगम की सेवा में पहले से लगे अधिकारी/कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(ठ) विद्युतकार की दशा में,–

(i) सीधी भर्ती द्वारा; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार अथवा बोर्ड और निगम की सेवा में पहले से लगे अधिकारी/कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(ड) नलसाज की दशा में,–

(i) सीधी भर्ती द्वारा; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार अथवा बोर्ड और निगम की सेवा में पहले से लगे अधिकारी/कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(ढ) चालक की दशा में,–

(i) सीधी भर्ती द्वारा; या

(ii) ग्रुप ग या घ पदों मे से पदोन्नति द्वारा; या

(iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार अथवा बोर्ड और निगम की सेवा में पहले से लगे अधिकारी/कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(ण) सहायक पुजारी की दशा में,–

(i) सीधी भर्ती द्वारा; या

(ii) पूजा सहायकों मे से पदोन्नति द्वारा; या

(iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार अथवा बोर्ड और निगम की सेवा में पहले से लगे अधिकारी/कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(त) स्टैनो–टाईपिस्ट की दशा में,–

(i) सीधी भर्ती द्वारा; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार अथवा बोर्ड और निगम की सेवा में पहले से लगे अधिकारी/कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(थ) लिपिक की दशा में,–

(i) 80 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा; तथा

(ii) 20 प्रतिशत चपरासी/सेवादारों में से पदोन्नति द्वारा; या

(iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार अथवा बोर्ड और निगम की सेवा में पहले से लगे अधिकारी/कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(द) बागवानी पर्यवेक्षक की दशा में,–

(i) सीधी भर्ती द्वारा; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार अथवा बोर्ड और निगम की सेवा में पहले से लगे

अधिकारी/कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(ध) सफाई पर्यवेक्षक की दशा में,–

(i) सीधी भर्ती द्वारा; या

(ii) मेहतर मेट में से पदोन्नति द्वारा; या

(iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार अथवा बोर्ड और निगम की सेवा में पहले से लगे अधिकारी/कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(न) कार्य–पर्यवेक्षक की दशा में,–

(i) सीधी भर्ती द्वारा; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार अथवा बोर्ड और निगम की सेवा में पहले से लगे अधिकारी/कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(प) सेवादार की दशा में,–

(i) सीधी भर्ती द्वारा; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार अथवा बोर्ड और निगम की सेवा में पहले से लगे अधिकारी/कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(फ) चपरासी की दशा में,–

(i) सीधी भर्ती द्वारा; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार अथवा बोर्ड और निगम की सेवा में पहले से लगे अधिकारी/कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(ब) पूजा सहायक की दशा में,–

(i) सीधी भर्ती द्वारा; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार अथवा बोर्ड और निगम की सेवा में पहले से लगे

अधिकारी/कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(भ) माली की दशा में,–

(i) सीधी भर्ती द्वारा; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार अथवा बोर्ड और निगम की सेवा में पहले से लगे अधिकारी/कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(म) चौकीदार की दशा में,–

(i) सीधी भर्ती द्वारा; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार अथवा बोर्ड और निगम की सेवा में पहले से लगे अधिकारी/कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(य) मेहतर की दशा में,–

(i) सीधी भर्ती द्वारा; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार अथवा बोर्ड और निगम की सेवा में पहले से लगे अधिकारी/कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(र) सुरक्षा गार्ड की दशा में,–

(i) सीधी भर्ती द्वारा; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार अथवा बोर्ड और निगम की सेवा में पहले से लगे अधिकारी/कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(2) सभी पदोन्नतियां जब तक अन्यथा उपबंधित न हों, ज्येष्ठता एंव योग्यता के आधार पर की जाएंगी और केवल ज्येष्ठता ही ऐसी पदोन्नतियों के लिए कोई अधिकार प्रदान नही करेगी।

10. (1) सेवा में किसी पद पर नियुक्ति व्यक्ति, यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो दो वर्ष की अवधि के लिए, यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा : परिवीक्षा।

परन्तु–

(क) ऐसी नियुक्ति के बाद किसी अनुरूप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई कोई अवधि परिवीक्षा की अवधि में गिनी जाएगी;

(ख) स्थानान्तरण द्वारा किसी नियुक्ति की दशा में, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति से पहले किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर किए गए कार्य की कोई अवधि, नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर इस नियम के अधीन नियत परिवीक्षा अवधि में गिनने की अनुमति दी जा सकती है; और

(ग) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई अवधि परिवीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जाएगी, किन्तु कोई भी व्यक्ति, जिसने ऐसे स्थानापन्न रूप में कार्य किया है, परिवीक्षा की विहित अवधि पूरी होने पर, यदि वह किसी स्थाई पद पर नियुक्त न किया गया हो पुष्ट किए जाने का हकदार नहीं होगा।

(2) यदि, नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, परिवीक्षा की अवधि के दौरान, किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो, तो वह–

(क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो उसकी सेवाएं समाप्त कर सकता है, और

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो–

(i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है; या

(ii) उसके संबंध मे किसी ऐसी अन्य रीति में कार्यवाही कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें अनुज्ञात करें।

(3) किसी व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी–

(क) यदि उसकी राय में, उसका कार्य या आचरण सतोंषजनक रहा हो तो,

(i) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी स्थाई रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्ट कर सकता है; या

(ii) ऐसे व्यक्ति को, स्थाई रिक्ति होने की तिथि से पुष्ट कर सकता है, यदि वह किसी अस्थाई रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो; या

(iii) यदि कोई स्थाई रिक्ति न हो, तो घोषित कर सकता है, कि उसने अपनी परिवीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूर्ण कर ली है; या

(ख) यदि उसका कार्य व आचरण उसकी राय में सतोंषजनक न रहा हो तो,–

(i) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है, यदि अन्यथा नियुक्त किया हो तो उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है या उसके संबंध में ऐसी अन्य रीति में कार्रवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें अनुज्ञात करें; या

(ii) उसकी परिवीक्षा अवधि बढा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश कर सकता है जो वह परिवीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता था :

परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि, जिसमें बढाई गई अवधि, यदि कोई हो, भी शामिल है तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

11. सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता सेवा में किसी भी पद पर उनके लगातार सेवा काल के अनुसार निश्चित की जाएगी : ज्येष्ठता।

परन्तु जहां सेवा में विभिन्न संवर्ग हों, वहां प्रत्येक संवर्ग के लिए ज्येष्ठता अलग–अलग निश्चित की जाएगी :

परन्तु यह और कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्ठता नियत करते समय बोर्ड द्वारा निश्चित योग्यता क्रम भंग नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह और कि एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता निम्नानुसार निश्चित की जाएगी :–

(क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य पदोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा;

(ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा;

(ग) पदोन्नति द्वारा अथवा स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्ठता ऐसी नियुक्तियों में ऐसे सदस्यों की ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की जाएगी, जिनसे वे पदोन्नत या स्थानान्तरण किए गए थे; और

(घ) विभिन्न संवर्गों से स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निश्चित की जाएगी, अधिमान ऐसे सदस्य को दिया जाएगा जो वह अपनी पहले की नियुक्ति में

उच्चतर दर पर वेतन ले रहा था, और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो तो उनकी नियुक्तियों में उनके सेवा–काल के अनुसार, निश्चित की जाएगी और यदि सेवा काल भी समान हो तो आयु में बड़ा सदस्य आयु में छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा।

सेवा करने का दायित्व।

12. (1) सेवा का कोई भी सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, हरियाणा राज्य में अथवा उसके बाहर किसी भी स्थान पर, सेवा के लिए, आदेश दिए जाने पर, ऐसा करने के लिए दायी होगा।

(2) सेवा के किसी भी सदस्य को निम्नलिखित के अधीन भी प्रतिनियुक्त किया जा सकता है:–

(i) किसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका सम्पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण राज्य सरकार, हरियाणा राज्य के भीतर नगर निगम या स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय के पास है;

(ii) केन्द्रीय सरकार या ऐसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका सम्पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण केन्द्रीय सरकार के पास है; अथवा

(iii) कोई अन्य राज्य सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, स्वायत्त निकाय, जिसका नियंत्रण सरकार के पास न हो अथवा गैर सरकारी निकाय :

परन्तु सेवा के किसी भी सदस्य को, उसकी सहमति के बिना खण्ड (ii) तथा खण्ड (iii) में निर्दिष्ट केन्द्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन या निकाय में सेवा करने के लिए प्रतिनियुक्त नहीं किया जाएगा।

वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा अन्य मामले ।

13. वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा सभी अन्य मामलों के सम्बन्ध में, जिनका इन नियमों में स्पष्ट रूप से उपबन्ध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा नियंत्रित होंगे जो बोर्ड द्वारा अपनाए या बनाए गए हों, अथवा इसके बाद अपनाए या बनाए जाएं।

अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलें ।

14. (1) अनुशासन, शास्तियों तथा अपीलों से सम्बन्धित मामलों में सेवा के सदस्य समय–समय यथा संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987 द्वारा नियंत्रित होंगे :

परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरूप, जो लगाई जा सकती हैं, ऐसी शास्तियां लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि या नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये वे होंगे, जो इन नियमों के परिशिष्ट ग में विनिर्दिष्ट हैं।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987, के नियम 9 के उपनियम (1) के खण्ड (ग) या खण्ड (घ) के अधीन आदेश पारित करने के लिए

सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी वह होगा जो नियमों के परिशिष्ट घ में विनिर्दिष्ट है।

15. सेवा का प्रत्येक सदस्य, टीका लगवाएगा तथा जब सरकार किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा ऐसा निर्देश करें, पुनः टीका लगवाएगा। टीका लगवाना।

16. सेवा के प्रत्येक सदस्य से, जब तक उसने पहले भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति राजनिष्ठा की शपथ न ले ली हो, ऐसा करने की अपेक्षा की जाएगी। राजनिष्ठा की शपथ।

17. जहां, बोर्ड की राय में, इन नियमों के किसी उपबन्ध में ढील देना आवश्यक या समीचीन हो, वहां वह कारण लिखकर, आदेश द्वारा, व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकती है। ढील देने की शक्ति।

18. इन नियमों मे किसी बात के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी, यदि वह नियुक्ति आदेश में विशेष निबन्धन तथा शर्तें लगाना उचित समझे, तो ऐसा कर सकता है। विशेष उपबन्ध।

19. इन नियमों में दी गई कोई बात राज्य सरकार द्वारा, इस संबंध में जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग को दिए जाने के लिऐं अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नही करेगी : आरक्षण।

परन्तु इस प्रकार से किए गए आरक्षण की कुल प्रतिशतता किसी भी समय पचास प्रतिशत से अधिक नही होगी।

20. सेवा को लागू कोई नियम तथा नियमों के अनुरूप कोई नियम जो इन नियमों के प्रारंभ से तुरंत पूर्व प्रवृत्त हों, इसके द्वारा निरसित किए जाते हैं : निरसन तथा व्यावृत्ति।

परन्तु, इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्रवाई इन नियमों के अनुरूप उपबंधो के अधीन किया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

परिशिष्ट क

(देखिए नियम 3)

क्रम संख्या	पदनाम	पदों की संख्या			वेतनमान (रुपये)
		अस्थाई	स्थाई	कुल	
1	2	3	4	5	6
1.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	–	1	1	37400–67000+ ग्रेड वेतन 8700 (एच सी एस (ईबी) का सुपर टाईम स्केल)
2.	लेखाधिकारी	–	1	1	9300–34800+ग्रेड वेतन 4200
3.	कार्यालय सचिव	–	1	1	9300–34800+ग्रेड वेतन 3600
4.	निजी सहायक	–	2	2	9300–34800+ग्रेड वेतन 3600
5.	कनिष्ठ अभियंता	–	1	1	9300–34800+ग्रेड वेतन 3600
6.	पुस्तकाध्यक्ष	–	1	1	9300–34800+ग्रेड वेतन 3600
7.	लेखाकार	–	2	2	9300–34800+ग्रेड वेतन 3200
8.	सहायक	–	2	2	9300–34800+ग्रेड वेतन 3200
9.	स्टोर कीपर	–	1	1	9300–34800+ग्रेड वेतन 3200
10.	सुरक्षा अधिकारी	–	1	1	9300–34800+ग्रेड वेतन 3200
11.	पुजारी	–	7	7	5200–20200+ग्रेड वेतन 2400
12.	विद्युतकार	–	2	2	5200–20200+ग्रेड वेतन 2400
13.	नलसाज	–	1	1	5200–20200+ग्रेड वेतन 2400
14.	चालक	–	2	2	5200–20200+ग्रेड वेतन 2400

क्रम संख्या	पदनाम	पदों की संख्या			वेतनमान (रुपये)
		अस्थाई	स्थाई	कुल	
1	2	3	4	5	6
15.	सहायक पुजारी	—	8	8	5200—20200+ग्रेड वेतन 1900
16.	स्टैनो टाईपिस्ट	—	1	1	5200—20200+ग्रेड वेतन 1900
17.	लिपिक	—	15	15	5200—20200+ग्रेड वेतन 1900
18.	बागवानी पर्यवेक्षक	—	1	1	5200—20200+ग्रेड वेतन 1900
19.	सफाई पर्यवेक्षक	—	1	1	5200—20200+ग्रेड वेतन 1900
20.	कार्य पर्यवेक्षक	—	1	1	5200—20200+ग्रेड वेतन 2400
21.	सेवादार	—	9	9	4440—7440+ग्रेड वेतन 1300
22.	चपरासी	—	3	3	4440—7440+ग्रेड वेतन 1300
23.	पूजा सहायक	—	3	3	4440—7440+ग्रेड वेतन 1300
24.	माली	—	17	17	4440—7440+ग्रेड वेतन 1300
25.	चौकीदार	—	6	6	4440—7440+ग्रेड वेतन 1300
26.	मेहतर	—	24	24	4440—7440+ग्रेड वेतन 1300
27.	सुरक्षा गार्ड	—	6	6	4440—7440+ग्रेड वेतन 1300

परिशिष्ट ख

(देखिए नियम 7)

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो
1	2	3	4
1.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्व विद्यालय से स्नातकोत्तर; (ii) किसी सरकारी, बोर्ड / निगम में किसी राजपत्रित पद पर कम से कम 10 वर्ष का अनुभव; (iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी / संस्कृत का ज्ञान; नोट : विधि स्नातक को अधिमान दिया जाएगा;	**स्थानान्तरण / प्रतिनियुक्ति द्वारा** (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर; (ii) किसी सरकारी, बोर्ड / निगम में किसी राजपत्रित प्द पर कम से कम 10 वर्ष का अनुभव; (iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी / संस्कृत का ज्ञान; नोटः विधि स्नातक को अधिमान दिया जाएगा;
2.	लेखाधिकारी	एस०ए०एस	**स्थानान्तरण / प्रतिनियुक्ति द्वारा** चुंकि लेखाधिकारी का पद केवल वित्त विभाग से स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जाता है, इस पद के लिए अर्हताएं और अनुभव उक्त विभाग द्वारा निर्धारित किया जाएगा;
3.	कार्यालय सचिव	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्व विद्यालय से स्नातक; (ii) किसी सरकारी, बोर्ड / निगम या ख्यातिप्राप्त फर्म में किसी राजपत्रित पद पर कम से कम 10 वर्ष का अनुभव; (iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी / संस्कृत का ज्ञान;	**स्थानान्तरण / प्रतिनियुक्ति द्वारा** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्व विद्यालय से स्नातक, (ii) किसी सरकारी, बोर्ड / निगम या ख्यातिप्राप्त फर्म में किसी राजपत्रित पद पर कम से कम 10 वर्ष का अनुभव; (iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी / संस्कृत का ज्ञान;

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो
1	2	3	4
4.	निजी सहायक	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्व विद्यालय से स्नातक; (ii) 100 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी आशुलिपि और 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी आशुलिपी तथा क्रमशः 15 और 20 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन;	**स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा** निजी सहायक के रूप में कम से कम दो वर्ष का अनुभव;
5.	कनिष्ठ अभियंता	(i) किसी मान्यता प्राप्त पॉलटैक्निक से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा; (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी/संस्कृत का ज्ञान;	**स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा** (i) किसी मान्यता प्राप्त पॉलटैक्निक से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा; (ii) कनिष्ठ अभियंता(सिविल) के रूप में कम से कम दो वर्ष का अनुभव; (iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी/संस्कृत का ज्ञान;
6.	पुस्तकाध्यक्ष	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातक; (ii) पुस्तकाध्यक्ष के रूप में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव; (iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी/संस्कृत का ज्ञान;	**स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा** (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातक; (ii) पुस्तकाध्यक्ष के रूप में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव; (iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी/संस्कृत का ज्ञान;
7.	लेखाकार	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी० कॉम; (ii) सरकारी/अर्ध सरकारी या ख्यातिप्राप्त फर्म में लेखाकार के रूप में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव;	**स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बी० कॉम; (ii) सरकारी/अर्ध सरकारी या ख्यातिप्राप्त फर्म में लेखाकार के रूप में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव;

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो
1	2	3	4
		(iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी/संस्कृत का ज्ञान;	(iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी/संस्कृत का ज्ञान;
8.	सहायक		1. स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक; (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कार्मिक तथा व्यवसाय प्रबन्धन में डिप्लोमा; (iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी/संस्कृत का ज्ञान; 2. पदोन्नति द्वारा लिपिक/स्टैनो टाईपिस्ट के रूप में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव।
9.	स्टोर कीपर		1. स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक; (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कार्मिक तथा व्यवसाय प्रबन्धन में डिप्लोमा; (iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी/संस्कृत का ज्ञान;

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो
1	2	3	4
			2. पदोन्नति द्वारा लिपिक/स्टैनो टाईपिस्ट के रूप में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव।
10.	सुरक्षा अधिकारी	(i) सेवानिवृत्त कनिष्ठ कमीशन प्राप्त अधिकारी/सेवा निवृत्त पुलिस निरीक्षक; (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी/संस्कृत का ज्ञान;	स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा (i) सेवानिवृत्त कनिष्ठ कमीशन प्राप्त अधिकारी/सेवा निवृत्त पुलिस निरीक्षक; (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी/संस्कृत का ज्ञान; 2. पदोन्नति द्वारा निरीक्षक पुलिस के पद पर कम से कम पांच वर्ष का अनुभव।
11.	पुजारी	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से शास्त्री; (ii) पुजारी अथवा कर्मकाण्ड के रूप में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव; (iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी/संस्कृत का ज्ञान;	1. स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से शास्त्री; (ii) पुजारी अथवा कर्मकाण्ड के रूप में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव; (iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी/संस्कृत का ज्ञान; 2. पदोन्नति द्वारा (i) सहायक पुजारी के रूप में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव। (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी/संस्कृत का ज्ञान;
12.	विद्युतकार	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से मैट्रिक या इसके समकक्ष; (ii) किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या मान्यता प्राप्त संस्थान से बिजली ट्रेड प्रमाण-पत्र; (iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी/संस्कृत का ज्ञान;	स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा (i) बिजली मिस्तरी के रूप में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव ; (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी/संस्कृत का ज्ञान;

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो
1	2	3	4
13.	नलसाज	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से मैट्रिक या इसके समकक्ष; (ii) किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या मान्यता प्राप्त संस्थान से पलम्बर ट्रेड प्रमाण–पत्र; (iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी/संस्कृत का ज्ञान;	स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा (i) नलसाज के रूप में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव ; (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी/संस्कृत का ज्ञान;
14.	चालक	(i) उसे हिन्दी पढनी और लिखनी आनी चाहिए; (ii) उसके पास भारी/हल्के वाहन चलाने का लाइसैंस होना चाहिए; (iii) वाहन चलाने के रूप में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव होना चाहिए;	1. स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा (i) वाहन चलाने के रूप में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव होना चाहिए; (ii) उसके पास भारी/हल्के वाहन चलाने का लाइसैंस होना चाहिए; 2. पदोन्नति द्वारा (i) ग्रुप ग तथा घ सेवा में कम से कम पांच वर्ष का वाहन चलाने के रूप में अनुभव; (ii) उसके पास भारी/हल्के वाहन चलाने का लाइसैंस होना चाहिए;
15.	सहायक पुजारी	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मध्यमा या विशारद; (ii) पुजारी या कर्मकाण्ड के रूप में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव;	स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा (i) पुजारी के रूप में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव; (ii) पुजारी अथवा कर्मकाण्ड के रूप में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव;

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो
1	2	3	4
		(iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी/संस्कृत का ज्ञान;	(iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी/संस्कृत का ज्ञान; 2. पदोन्नति द्वारा (i) पूजा सहायक के रूप में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव। मैट्रिक स्तर तक हिन्दी/संस्कृत का ज्ञान;
16.	स्टैनो टाईपिस्ट	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से मैट्रिक या इसके समकक्ष; (ii) 80 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी आशुलिपि और 64 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी आशुलिपी तथा क्रमशः 15 तथा 11 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन; (iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी/संस्कृत का ज्ञान;	स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा (i) स्टैनो टाईपिस्ट के रूप में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव; (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी/संस्कृत का ज्ञान,
17.	लिपिक	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से मैट्रिक; (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी/संस्कृत का ज्ञान; (iii) नियुक्ति के एक वर्ष के भीतर 25/30 शब्द प्रति मिनट की गति से क्रमशः हिन्दी या अंग्रेजी टाईप कम्पयूटर ज्ञान सहित परीक्षा पास करनी होगी, टाईप टैस्ट पास करने के बाद ही वह वार्षिक वेतन-वृद्धि का हकदार होगा;	स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से मैट्रिक; (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी/संस्कृत का ज्ञान; (iii) 25/30 शब्द प्रति मिनट की गति से क्रमशः हिन्दी तथा अंग्रेजी टाईप; 2. पदोन्नति द्वारा (i) चपरासी या सेवादार के रूप में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव;

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो
1	2	3	4
			(ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / बोर्ड से मैट्रिक; मैट्रिक स्तर तक हिन्दी / संस्कृत का ज्ञान; (iii) पदोन्नति के एक वर्ष के भीतर 25 / 30 शब्द प्रति मिनट की गति से क्रमशः हिन्दी या अंग्रेजी टाईप कम्पयूटर ज्ञान सहित परीक्षा पास करनी होगी, टाईप टैस्ट पास करने के बाद ही वह वार्षिक वेतन-वृद्धि का हकदार होगा;
18.	बागवानी पर्यवेक्षक	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी०एस०सी० कृषि; (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से बागवानी में डिप्लोमा; (iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी / संस्कृत का ज्ञान;	स्थानान्तरण / प्रतिनियुक्ति द्वारा (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी०एस०सी० कृषि; (ii) बागवानी पर्यवेक्षक के रूप में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव; (iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी / संस्कृत का ज्ञान;
19.	सफाई पर्यवेक्षक	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैट्रिक पास; (ii) सैनिटेशन कार्यक्रम में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा; (iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी / संस्कृत का ज्ञान;	1. स्थानान्तरण / प्रतिनियुक्ति द्वारा (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैट्रिक पास; (ii) सफाई पर्यवेक्षक के रूप में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव; (iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी / संस्कृत का ज्ञान; 2. पदोन्नति द्वारा (i) सफाई मेट के रूप में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव; (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी / संस्कृत का ज्ञान;

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो
1	2	3	4
20.	कार्य पर्यवेक्षक	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैट्रिक पास; (ii) कार्य पर्यवेक्षक के रूप में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव; (iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी/संस्कृत का ज्ञान;	स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा (i) कार्य पर्यवेक्षक के रूप में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव; (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी/संस्कृत का ज्ञान;
21.	सेवादार	(i) मिडल पास; (ii) मिडल स्तर तक हिन्दी का ज्ञान;	स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा (i) मिडल पास; (ii) मिडल स्तर तक हिन्दी का ज्ञान; (iii) चपरासी/सेवादार के तौर पर कम से कम दो वर्ष का अनुभव;
22.	चपरासी	(i) मिडल पास; (ii) मिडल स्तर तक हिन्दी का ज्ञान;	स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा (i) मिडल पास; (ii) चपरासी/सेवादार के तौर पर कम से कम दो वर्ष का अनुभव;
23.	पूजा सहायक	(i) मिडल पास; (ii) किसी मन्दिर में पूजा के रूप में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव; (iii) मिडल स्तर तक हिन्दी का ज्ञान;	स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा (i) मिडल पास; (ii) किसी मन्दिर में पूजा के रूप में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव; (iii) मिडल स्तर तक हिन्दी का ज्ञान;
24.	माली	(i) मिडल पास; (ii) माली के रूप में कम से कम दो वर्ष का अनुभव; (iii) मिडल स्तर तक हिन्दी का ज्ञान;	स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा (i) मिडल पास; (ii) माली के रूप में कम से कम दो वर्ष का अनुभव; (iii) मिडल स्तर तक हिन्दी का ज्ञान;

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो
1	2	3	4
25.	चौकीदार	(i) मिडल पास; (ii) चौकीदार के रूप में कम से कम दो वर्ष का अनुभव; (iii) मिडल स्तर तक हिन्दी का ज्ञान;	**स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा** (i) मिडल पास; (ii) चौकीदार के रूप में कम से कम दो वर्ष का अनुभव; (iii) मिडल स्तर तक हिन्दी का ज्ञान;
26.	स्वीपर	(i) वह हिन्दी पढ़ना व लिखना जानता हो; (ii) स्वीपर के रूप में कम से कम दो वर्ष का अनुभव;	**स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा** (i) वह हिन्दी पढ़ना व लिखना जानता हो; (ii) स्वीपर के रूप में कम से कम दो वर्ष का अनुभव;
27.	सुरक्षा गार्ड	(i) भूतपूर्व सैनिक; (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैट्रिक या इसके समकक्ष; (iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी/संस्कृत का ज्ञान;	**स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा** (i) भूतपूर्व सैनिक; (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैट्रिक या इसके समकक्ष; (iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी/संस्कृत का ज्ञान;

परिशिष्ट ग
(देखिए नियम 6 और 14(1))

क्रमांक	पदनाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिए सशक्त	अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6
1.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	अध्यक्ष	**छोटी शास्तियां** (i) वैयक्तिक फाईल (आचरण पंजी) पर प्रति रखते हुए चेतावनी; (ii) परिनिन्दा; (iii) पदोन्नति रोकना; (iv) आदेशों की उपेक्षा या उल्लंघना द्वारा केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार को या ऐसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण सरकार के पास है, संसद या राज्य विधानमण्डल के अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय को हुई धन संबंधी हानि पूरी की या उसके भाग की वेतन से वसूली; (v) संचयी प्रभाव के बिना वेतन वृद्धियां रोकना;	मुख्य प्रशासक	अध्यक्ष
			बड़ी शास्तियां (vi) संचयी प्रभाव से वेतन वृद्धियां रोकना; (vii) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए समयमान में निम्नस्तर प्रक्रम पर अवनति ऐसे अतिरिक्त निर्देशों सहित कि क्या सरकारी कर्मचारी ऐसी अवनति की अवधि के दौरान	अध्यक्ष	बोर्ड

क्रमांक	पदनाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिए सशक्त	अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6
			वेतनवृद्धियां अर्जित करेगा या नहीं और क्या ऐसी अवधि की समाप्ति पर ऐसी अवनति उसका भावी वेतनवृद्धियां स्थगित करने का प्रभाव रखेगी या नहीं;		
			(viii) निम्नतर वेतनमान ग्रेड, पद या सेवा पर ऐसी अवनति, जो सरकारी कर्मचारी के उस समय वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर जिसे वह अवनत किया गया था, पदोन्नति के लिए साधारणतया रोक होगी, ऐसी जिसे ग्रेड अथवा पद अथवा सेवा से सरकारी कर्मचारी अवनत किया गया था, उस पर बहाली संबंधी और उसकी ज्येष्ठता तथा उस ग्रेड, पद या सेवा पर वेतन के बारे में शर्तों संबंधी अतिरिक्त निर्देशों के साथ या उनके बिना होगा;		
			(ix) अनिवार्य सेवा निवृत्ति;		
			(x) सेवा से हटाया जाना, जो बोर्ड के अधीन भावी नियुक्ति के लिए सामान्यतः अयोग्यता नहीं होगी;		
			(xi) सेवा से पदच्युति जो बोर्ड के अधीन भावी नियुक्ति के लिए सामान्यतः अयोग्यता होगी।		

क्रमांक	पदनाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिए सशक्त	अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6
2.	लेखाधिकारी		एस०ए०एस०		
3.	कार्यालय सचिव	मुख्य प्रशासक	**छोटी शास्तियां**	मुख्य प्रशासक	अध्यक्ष
4.	निजी सहायक		(i) वैयक्तिक फाईल (आचरण पंजी) पर प्रति रखते हुए चेतावनी;		
5.	कनिष्ठ अभियंता				
6.	पुस्तकाध्यक्ष		(ii) परिनिन्दा;		
7.	लेखाकार		(iii) पदोन्नति रोकना;		
8.	सहायक		(iv) आदेशों की उपेक्षा या उल्लंघन द्वारा केन्द्रीय सरकार को या ऐसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण सरकार के पास है, संसद या राज्य विधानमण्डल के अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय की हुई धन संबंधी हानि पूरी की या उसके भाग की वेतन से वसूली;		
9.	स्टोर कीपर				
10	सुरक्षा अधिकारी				
11.	पुजारी				
12.	विद्युतकार				
13.	नलसाज				
14.	चालक				
15.	सहायक पुजारी				
16.	स्टैनो टाईपिस्ट				
17.	लिपिक				
18.	बागवानी पर्यवेक्षक		(v) संचयी प्रभाव के बिना वेतन वृद्धियां रोकना;		
19.	सफाई पर्यवेक्षक		**बड़ी शास्तियां**		
20.	कार्य पर्यवेक्षक		(vi) संचयी प्रभाव से वेतन वृद्धियां रोकना;	मुख्य प्रशासक	अध्यक्ष
21.	सेवादार		(vii) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए समयमान में निम्नस्तर प्रक्रम पर अवनति ऐसे अतिरिक्त निर्देशों सहित कि क्या सरकारी कर्मचारी ऐसी अवनति की अवधि के दौरान वेतनवृद्धियां अर्जित करेगा या नहीं और क्या ऐसी अवधि की समाप्ति पर ऐसी		
22.	चपरासी				
23.	पूजा सहायक				
24.	माली				
25.	चौकीदार				
26.	मेहतर				
27.	सुरक्षा गार्ड				

क्रमांक	पदनाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिए सशक्त	अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6
			अवनति उसका भावी वेतनवृद्धियां स्थगित करने का प्रभाव रखेगी या नहीं ;		
			(viii) निम्नतर वेतनमान ग्रेड, पद या सेवा पर ऐसी अवनति, जो सरकारी कर्मचारी के उस समय वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर जिसे वह अवनत किया गया था, पदोन्नति के लिए साधारणतया रोक होगी, ऐसी जिसे ग्रेड अथवा पद अथवा सेवा से सरकारी कर्मचारी अवनत किया गया था, उस पर बहाली संबंधी और उसकी ज्येष्ठता तथा उस ग्रेड, पद या सेवा पर वेतन के बारे में शर्तों संबंधी अतिरिक्त निर्देशों के साथ या उनके बिना होगा;		
			(ix) अनिवार्य सेवा निवृत्ति;		
			(x) सेवा से हटाया जाना, जो बोर्ड के अधीन भावी नियुक्ति के लिए सामान्यतः अयोग्यता नहीं होगी;		
			(xi) सेवा से पदच्युति जो बोर्ड के अधीन भावी नियुक्ति के लिए सामान्यतः अयोग्यता होगी।		

परिशिष्ट घ

(देखिए नियम 14(2))

क्रमांक	पदनाम	आदेशों का स्वरूप	आदेश के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5
1.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	(i) पेंशन को नियत करने वाले नियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय सामान्य / अतिरिक्त पेंशन की राशि में कमी करना या रोकना; (ii) सेवा के किसी सदस्य की उसकी अधिवर्षिता के लिए नियत आयु होने से अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति;	अध्यक्ष	बोर्ड
2	लेखाधिकारी	एस0ए0एस0		
3.	कार्यालय सचिव	(i) पेंशन को नियत करने वाले नियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय सामान्य / अतिरिक्त पेंशन की राशि में कमी करना या रोकना; (ii) सेवा के किसी सदस्य की उसकी अधिवर्षिता के लिए नियत आयु होने से अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति;	मुख्य प्रशासक	अध्यक्ष
4.	निजी सहायक			
5.	कनिष्ठ अभियंता			
6	पुस्तकाध्यक्ष			
7.	लेखाकार			
8.	सहायक			
9.	स्टोर कीपर			
10.	सुरक्षा अधिकारी			
11.	पुजारी			
12.	विद्युतकार			
13.	नलसाज			
14.	चालक			
15.	सहायक पुजारी			

क्रमांक	पदनाम	आदेशों का स्वरूप	आदेश के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5
			मुख्य प्रशासक	अध्यक्ष
16.	स्टैनो टाईपिस्ट			
17.	लिपिक			
18.	बागवानी पर्यवेक्षक			
19.	सफाई पर्यवेक्षक			
20.	कार्य पर्यवेक्षक			
21.	सेवादार			
22.	चपरासी			
23.	पूजा सहायक			
24.	माली			
25.	चौकीदार			
26.	मेहतर			
27.	सुरक्षा गार्ड			

पी. राघवेन्द्र राव,
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।